Not-4
13/7/21

13.07.21 कार्यालय हाजा की रिट शाखा में प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3608/2021 के साथ संलग्न एनेक्सर-7 के अवलोकन पश्चात् न्यायालय के स्वतः संज्ञान स्वरूप पत्रावली निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत हुई। उक्त रिट याचिका संख्या 3608/2021 के अवलोकन से न्यायालय हाजा के संज्ञान में आया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि चक 16 एपीडी (ए) तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 262/39 की 25 बीघा भूमि उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान केनाल परियोजना, बीकानेर द्वारा दिनांक 21.08.1965/07.08.1965 को प्रार्थीगण के पिता कालासिंह पुत्र कानसिंह को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के पश्चात् कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त आवंटन के संबंध में तथ्य छुपाकर गलत तरीके से आवंटन करवाने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई। उक्त शिकायत की विस्तृत जाँच पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन, श्रीविजयनगर द्वारा गलत तथ्य के आधार पर भूमि आवंटन करवाना सिद्ध मानते हुए प्रार्थीगण के पिता कालासिंह पुत्र कानसिंह का आवंटन [illegible] दिनांक 21.02.1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:22 IST
Reason: SelfAttested

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रश्नगत भूमि के आवंटन निरस्ती का उक्त आदेश प्रथम अपील, द्वितीय अपील, निगरानी, रिटयाचिका आदि के माध्यम से समय-समय पर चैलेन्ज किया गया जो कि अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर, माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल, अजमेर, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा यथावत् रखा गया।

दिनांक 19.07.18 को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारित एस-बी-सिविल रिट पिटिशन संख्या 2366/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.19 द्वारा प्रार्थीगण की रिटयाचिका अन्तिम रूप से खारिज की जा चुकी है एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपने उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूमि का कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में आवंटित रकबा खारिजी से संबद्ध तथ्य के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य यथा विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में कोई अनुतोष न प्राप्त होने एवं माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार न होने का अभिनिर्धारण, न्यायालय हाजा के समक्ष उद्घाटित नही किए गए। उक्त के क्रम में न्यायालय का मानना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए न केवल हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वरन् न्यायालय से स्थगन आदेश अस्थायी भी प्राप्त किया है फलतः स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष न आने के कारण न केवल प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अनधिकारी है, वरन् हस्तगत प्रार्थनापत्र भी पोषणीय नहीं है।

अतः वकील प्रार्थीगण व दिनांक

Signature Not
Digitally signed b
Date: 2021.08.08
Reason: SelfAtte

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी नम्बर
	23.07.21 को न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उपर्युक्त विवेचित आधारों पर हस्तगत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया जावे। आगामी तारीख पेशी बाबत वकील प्रार्थीगण को नोट करवाया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.21 को पेश हो। 13/07/21	
23/7/21	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित/वकील प्रार्थी न्यायालय के द्वारा की गई नोटिस के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे। अतः हस्तगत प्रा० पत्र न्यायालय के द्वारा इसी स्तर पर नामंजूर किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर रेकार्ड नम्बर के रूप हो। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:22 IST
Reason: SelfAttested